बिहार लोक सेवा आयोग
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं॰ :– **33/2017**, गृह विभाग के अन्तर्गत निदेशक, अभियोजन, बिहार के कुल 01 (एक) (अनारक्षित) पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु बिहार अभियोजन सेवा के जिला अभियोजन पदाधिकारी अथवा इसके समकक्ष या वरीय पद धारित करने वाले पदाधिकारियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. **उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत निदेश, आवेदन प्रपत्र एवं बैंक चालान आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**
3. अंतिम तिथि:
   (i) **पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह बुधवार, 30 अगस्त 2017 की संध्या 5.00 बजे तक विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**
   (ii) **यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।**

19/7/17

विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),

पटना – 800001

विज्ञापन सं॰ :– 33/2017, गृह विभाग के अन्तर्गत निदेशक, अभियोजन, बिहार के कुल 01 (एक) (अनारक्षित) पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु बिहार अभियोजन सेवा के जिला अभियोजन पदाधिकारी अथवा इसके समकक्ष या वरीय पद धारित करने वाले पदाधिकारियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. **वेतनमानः–** वेतनमान–पी॰बी॰–4, 37400–67000/– + ग्रेड पे 8900/–
3. **अपेक्षित योग्यता :–**
   - (i) बिहार अभियोजन सेवा के जिला अभियोजन पदाधिकारी अथवा इसके समकक्ष या वरीय पद धारित करने वाले पदाधिकारी हों।
   - (ii) बिहार अभियोजन सेवा में कम–से–कम 10 वर्षों का अनुभव हो।
   - (iii) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 30.08.2017 को आवेदन करने वाले पदाधिकारियों की सेवा कम–से–कम 03 वर्ष शेष हो।

नोट :– **जिला अभियोजन पदाधिकारी के समकक्ष पद उप निदेशक एवं उप निदेशक (विधि) है।**

4. उम्र सीमा :– निर्धारित नहीं है।
5. चयन का आधार :– **सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर।**
   - **(क) परीक्षा के दो पत्र होंगे :–**
     - (i) प्रथम पत्र सामान्य पत्र कहलाएगा, जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित), सामान्य विज्ञान और विश्लेषणात्मक योग्यता (Analytical Ability) के क्रमशः 20+20+20+20+20 = कुल 100 प्रश्न होंगे। इस प्रकार, कुल 100 प्रश्नों के लिए 200 अंक निर्धारित होंगे। यह प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर के साथ होगा। **प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाएगा।**
     - (ii) दूसरा पत्र विधि पत्र कहलाएगा, जिसमें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, दहेज उन्मूलन अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, मानव व्यापार विरोधी अधिनियम एवं स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) से प्रश्न होंगे। इस विषय का पूर्णांक 400 अंकों का होगा। यह प्रश्न पत्र विषयनिष्ठ (Subjective) होगा।
   - (ख) परीक्षा के सामान्य प्रश्न पत्र का स्तर वही होगा, जो विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा का होता है। परीक्षा के विधि पत्र का स्तर वही होगा, जो विधि स्नातक परीक्षा का होता है।
   - (ग) साक्षात्कार हेतु कुल 200 अंक निर्धारित होंगे।
6. **शुल्क :–**

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं 40% या उससे अधिक निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए 200/– (दो सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 250/– (दो सौ पचास) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 750/– (सात सौ पचास) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 800/– (आठ सौ) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के **खाता संख्या 31650243410** में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। इस विज्ञापन के चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in से आवेदन प्रपत्र के साथ डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।**

वैसे सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो निःशक्तता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा निःशक्तता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

7. अन्यः

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

8. अंतिम तिथि –:
   - (i) **पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेंजे कि वह बुधवार, 30 अगस्त 2017 के अपराह्न 5.00 बजे तक विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**
   - (ii) **यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।**

आवेदन–पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

9. प्रविष्टिः
   - (i) आवेदन–पत्र इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही होना चाहिए। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**
   - **(ii) आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले इंक के बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; सही एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।**
   - **(iii)** आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे :–
     - (i) **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जायः–**

स्‍	न	ग्‍	धा

     - (ii) **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें, यथा– ANIL KUMAR RAM को बाक्स में इस तरह लिखेंगें एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगेः–**

A	N	I	L		K	U	M	A	R		R	A	M

     - (iii) **आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।**
     - (iv) **आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04 एवं पिछड़ा वर्ग के लिये 05 भरें।**

       उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**
   - **(iv)** जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।
   - **(v)** स्तम्भ (कॉलम) 15 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।
   - **(vi)** स्तम्भ (कॉलम) 16 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।
10. फोटोग्राफ :–

आवेदन–पत्र के पृ॰–1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो/आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

उम्मीदवारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर चिपकाया गया है, उसकी कम–से–कम तीन अतिरिक्त प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसे आयोग द्वारा माँगें जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।

11. **योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।**

12. **आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**
13. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
14. <u>लिफाफा एवं प्रमाण पत्र</u> :–
 (i) **विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें।**
   (i) मैट्रिक का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के लिए);
   (ii) विधि स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र;
   (iii) पूर्व नियोजन से संबंधित प्रमाण–पत्र;
   (iv) बिहार अभियोजन सेवा में कम–से–कम 10 वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र;
   (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं निःशक्तता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति;
   (vi) बैंक में जमा चालान की मूल BPSC प्रति भी आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करेंगे;
   (vii) आवेदक उपर्युक्त सभी प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। जो प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
 (ii) **16×10 से॰मी॰ का स्वपता लिखित एक लिफाफा (अनुक्रमांक निर्गत करने हेतु), जिसपर 40 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।**
 (iii) **इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, आवेदन पत्र के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) जिसपर विज्ञापन सं॰ एवं पद का नाम अंकित है, को लिफाफे पर चिपकाते हुए प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) पर अपना पूरा पता अंकित करें।**
15. **इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट <u>www.bpsc.bih.nic.in</u> पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से विस्तृत सूचनाओं का प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।**
16. **उपर्युक्त विज्ञापनों के संबंध में विस्तृत निदेश, आवेदन पत्र का प्रपत्र एवं बैंक चालान आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। विज्ञापन विशेष के लिए निर्धारित प्रपत्र से भिन्न, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**
17. **आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वंय जिम्मेवार होंगे।**

विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।